जय प्रकाश विश्वविद्यालय

[illegible] नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

[illegible] SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel No. 06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Dated.- 08-07-2014

पत्रांक [illegible]

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य / विभागाध्यक्ष,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

विषय : स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन नियमावली एवं आरक्षण नीति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि नामांकन समिति की बैठक दिनांक 2-3 जुलाई 2014 में लिये गये निर्णयानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन अब निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा।

(i)	अनुसूचित जातियाँ	16 प्रतिशत
(ii)	अनुसूचित जन जातियाँ	01 प्रतिशत
(iii)	अत्यंत पिछड़ी जातियाँ	18 प्रतिशत
(iv)	पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत
(v)	पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ	03 प्रतिशत

अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षित स्थान बचता है तो उसे अनुसूचित जाति के विद्यार्थी से भरा जायेगा। अगर अनुसूचित जाति (अनुसूचित जनजाति के बचे हुये स्थान [illegible]) का आरक्षण स्थान रिक्त रह जाता है तो उसे अत्यंत पिछड़ी जाति (Annex-I) के विद्यार्थी से भरा जायेगा। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ी जाति (Annex-II) का आरक्षित स्थान [illegible] पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों से भरा जायेगा और उसके बाद रिक्त रह जाता है तो [illegible] सामान्य कोटि के विद्यार्थियों से भरा जायेगा। [illegible] कोटि का स्थान रिक्त रह जाता है तो उसे सामान्य कोटि के विद्यार्थियों से भरा जायेगा। यदि कोई आरक्षित कोटि का विद्यार्थी अपनी मेधा से सामान्य कोटि में आता है तो उसकी गणना आरक्षित कोटि में नहीं होगी।

[illegible] एवं एन. सी. सी. कैडटों को निम्न आधार पर [illegible] स्काउट्स / गाईड्स के विद्यार्थियों एवं एन. सी. सी. कैडटों को उनके कुल प्राप्तांक पर 2 प्रतिशत का वेटेज (अधिभार) देकर मेधानुसार सामान्य कोटि में नामांकन किया जाय।